पटना में दिनांक–16 जून, 2016 वृहस्पतिवार को अपराह्न 4:00 बजे से हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही। मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की।

निम्नलिखित निर्णय लिये गये :–

सूचना एवं जन–सम्पर्क विभाग

1.	सूचना एवं जन–सम्पर्क विभाग के अन्तर्गत राज्यपाल सचिवालय एवं मुख्यमंत्री सचिवालय के जन–सम्पर्क कार्यों के त्वरित निष्पादन हेतु राज्यपाल सचिवालय के लिए एक जन–सम्पर्क पदाधिकारी तथा एक छायाकार एवं मुख्यमंत्री सचिवालय के लिए दो जन–सम्पर्क पदाधिकारी एवं दो छायाकार अर्थात् जन–सम्पर्क पदाधिकारी के 03 (तीन) पद तथा छायाकार के 03 (तीन) पदों के सृजन की स्वीकृति के संबंध में।	1.	स्वीकृत।

सामान्य प्रशासन विभाग

2.	श्री सुरेश कुमार, (बि०प्र०से०), कोटि क्रमांक–1127/11, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी–सह– अंचलाधिकारी, बलरामपुर, कटिहार, सम्प्रति निलंबित को सेवा से बर्खास्तगी के संबंध में।	2.	स्वीकृत।

स्वास्थ्य विभाग

3.	डा० अरविंद कुमार सिन्हा, तत्कालीन चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, रामगढ़, कैमूर को दिनांक–05.12.2000 से लगातार पाँच वर्षों से अधिक अनाधिकृत अनुपस्थिति के आरोप में बिहार सेवा संहिता के नियम–76 के तहत सेवा से बर्खास्त करने का प्रस्ताव।	3.	स्वीकृत।

निर्वाचन विभाग

4.	निर्वाचन विभाग, बिहार, पटना के अन्तर्गत बिहार निर्वाचन सेवा के पदाधिकारियों को सुनिश्चित वृत्ति योजना के तहत प्रथम उन्नयन अपुनरीक्षित वेतनमान ₹ 10000–15200/–एवं रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना के तहत प्रथम उन्नयन पुनरीक्षित वेतनमान ₹ 15600–39100/–,ग्रेड पे–₹ 5400/– में प्रदान करने का प्रस्ताव।	4.	स्वीकृत।

निर्वाचन विभाग

5.	बिहार निर्वाचन सेवा संवर्ग के अवर निर्वाचन पदाधिकारी वेतनमान, (पी०वी०–2, ₹ 9300–34800 + ग्रेड पे० 4800/–) को उप निर्वाचन पदाधिकारी (वेतनमान पी०वी०–3, ₹ 15600–39100 + ग्रेड पे० 6600/–) के पद पर प्रोन्नति देने का प्रस्ताव।	5.	स्वीकृत।

संसदीय कार्य विभाग

6.	षोडश बिहार विधान सभा का तृतीय–सत्र तथा बिहार विधान परिषद् के 183वें सत्र (मानसून सत्र) के औपबंधिक कार्यक्रम की स्वीकृति के संबंध में।	6.	स्वीकृत।

पथ निर्माण विभाग

7.	पथ निर्माण विभाग के अन्तर्गत श्री राज नारायण चौधरी, सेवा निवृत्त अधीक्षण अभियंता (असैनिक) को दिनांक–17.07.2014 के भूतलक्षी प्रभाव से मुख्य अभियंता (असैनिक) के पद पर प्रोन्नति देने के संबंध में।	7.	स्वीकृत।

विधि विभाग

8.	श्री भृगुनाथ तिवारी, सेवानिवृत्त अनुवाद पदाधिकारी (से०नि०–30.04.2011) की 65 वर्ष की आयु पूरी होने के उपरांत सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या–10000, दिनांक–10.07.2015 के कंडिका –2 (ख) (v) के प्रावधानुसार, सहायक निदेशक (अनुवाद)–सह–सहायक विधान काउन्सिल के रिक्त पद के विरूद्ध, संविदा के आधार पर दिनांक–02.04.2016 से अगले एक वर्ष तक या उक्त पद पर नियमित पदस्थापन होने तक, जो भी पहले हो, पुर्ननियोजित किये जाने के संबंध में।	8.	स्वीकृत।

श्रम संसाधन विभाग

9.	बाल श्रमिक पुनर्वास तंत्र का सुदृढ़ीकरण योजनान्तर्गत वर्त्तमान में बाल श्रम से विमुक्ति के पश्चात् संबंधित बालक/अभिभावक को एक माह का राशन, वस्त्र, दवा एवं भोजन/नाश्ता हेतु दी जा रही रू० 1900 की राशि को बढ़ाकर रू० 3000 किये जाने की स्वीकृति।	9.	स्वीकृत।

आपदा प्रबंधन विभाग
(नागरिक सुरक्षा)

10.	राज्य के बहुआपदा प्रवण 24 नये जिलों को नागरिक सुरक्षा जिला घोषित करने तथा उनमें नागरिक सुरक्षा जिला ईकाईयों के लिये पद सृजन के प्रस्ताव की स्वीकृति के संबंध में।	10.	स्वीकृत।

कला, संस्कृति एवं युवा विभाग

11.	कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार के अधीन बिहार पुरातत्व एवं संग्रहालय सेवा (संग्रहालय) के वरीयतम पदाधिकारी डॉ० जयप्रकाश नारायण सिंह को निदेशक, संग्रहालय, बिहार (वर्ग–I) के पद पर वेतनमान PB - 4 + G.P. 8700 में प्रोन्नति देने की स्वीकृति के संबंध में।	11.	स्वीकृत।

ग्रामीण कार्य विभाग

12.	ग्रामीण कार्य विभाग के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं की निरीक्षण एवं गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली हेतु त्रिस्तरीय कोषांग का गठन।	12.	स्वीकृत।

पंचायती राज विभाग

13.	मुख्यमंत्री ग्रामीण गली–नाली पक्कीकरण निश्चय योजना के कार्यान्वयन हेतु मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति।	13.	स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

14.	नवादा जिलान्तर्गत रजौली अंचल के मौजा–हरदिया, थाना नं०–148 के विभिन्न खाता एवं खेसरा की कुल रकबा–7.98 एकड़ (भूमि विवरणी संलग्न, परिशिष्ट–I) जल संसाधन विभाग के स्वामित्व की भूमि विश्व बैंक सहायतित बहुग्रामीय जलापूर्ति योजनान्तर्गत जलमीनार की स्थापना हेतु लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को अन्तर्विभागीय निःशुल्क हस्तान्तरण करने के संबंध में।	14.	स्वीकृत।

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

16.	माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी०डब्लू०जे०सी० सं०–3611/2005 तथा 2836/2005 सुरेश पाण्डेय बनाम बिहार सरकार एवं अन्य में दिनांक–04.05.2011 को पारित न्यायादेश एवं एल०पी०ए० सं०–2004/2011 बिहार सरकार एवं अन्य बनाम सुरेश पाण्डेय में दिनांक–20.01.2015 को पारित न्यायादेश के आलोक में श्री सुरेश पाण्डेय, सेवानिवृत्त अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय अधिसूचना सं०–31 दिनांक–15.01.2015 द्वारा दिनांक– 05.03.1994 एवं 01.01.2002 से क्रमशः मुख्य अभियंता एवं अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव के पद पर दी गयी वैचारिक (Notional) प्रोन्नति को संशोधित करते हुए आनुषांगिक/आर्थिक लाभों के साथ भूतलक्षी प्रभाव से वास्तवित प्रोन्नति देने के संबंध में।	16.	स्वीकृत।

वाणिज्य–कर विभाग

17.	बिहार वित्त सेवा संवर्ग के वाणिज्य–कर पदाधिकारी (वेतनमान् रू० 15600–39100+ग्रेड पे–5400) कोटि से वाणिज्य–कर सहायक आयुक्त (वेतनमान् रू० 15600–39100+ग्रेड पे–6600) कोटि में प्रोन्नति देने के संबंध में।	17.	स्वीकृत।

वाणिज्य–कर विभाग

18. बिहार मूल्यवर्द्धित कर नियमावली, 2005 के नियम 19 के उप–नियम (2), उप–नियम (3) एवं उप–नियम (8), नियम 33 के उप–नियम (5) तथा बिहार मूल्य वर्द्धित कर नियमावली, 2005 के अधीन त्रैमासिक विवरणी RT-1, RT-IV, संशोधित त्रैमासिक विवरणी RT-V एवं वार्षिक विवरणी RT-III में संशोधन के संबंध में। — 18. स्वीकृत।

निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग

19. बिहार निबंधन सेवा के पदाधिकारियों को एम॰ए॰सी॰पी॰ योजना, 2010 एवं संगत प्रावधानों के तहत तृतीय एम॰ए॰सी॰पी॰ लाभ की स्वीकृति। — 19. स्वीकृत।

नगर विकास एवं आवास विभाग

20. वित्तीय वर्ष 2016–17 में राज्य के विभिन्न नगर परिषदों एवं नगर पंचायतों में पदस्थापित बिहार प्रशासनिक सेवा, बिहार नगरपालिका सेवा एवं अन्य विभागों से सेवा प्राप्त पर्यवेक्षकीय संवर्ग के पदाधिकारियों के वेतनादि भुगतान हेतु गैर योजना अन्तर्गत सहायक अनुदान के रूप में ₹ 908.39 लाख (नौ करोड़ आठ लाख उनचालीस हजार रू०) मात्र के व्यय की स्वीकृति के संबंध में। — 20. स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

21. राज्य के प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों में नियोजित एवं कार्यरत 66,104 प्रखंड शिक्षकों एवं नगर निकाय शिक्षकों के वित्तीय वर्ष, 2016–17 के वेतन भुगतान के लिए पंचायत समितियों एवं नगर निकायों को सहायक अनुदान मद में कुल ₹ 11,21,00,00,000/–(रूपये ग्यारह अरब इक्कीस करोड़ मात्र) की स्वीकृति एवं विमुक्त करने की स्वीकृति के संबंध में। — 21. स्वीकृत।

समाज कल्याण विभाग

22. मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना के अधीन महिला सशक्तिकरण नीति, 2015 के कार्यान्वयन को समाहित करते हुए सहायक अनुदान के रूप में कुल रूपये 24,60,00,000/–(चौबीस करोड़ साठ लाख) मात्र के व्यय की स्वीकृति के संबंध में। — 22. स्वीकृत।

समाज कल्याण विभाग
(सामाजिक सुरक्षा एवं निःशक्तता निदेशालय)

23. राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम योजना में वित्तीय वर्ष 2016–17 में केन्द्रांश मद में रू० 148750.00 लाख (एक हजार चार सौ सतासी करोड़ पचास लाख रूपये) तथा राज्यांश मद में रू० 59000.00 लाख (पाँच सौ नब्बे करोड़ रूपये) अर्थात कुल रू० 207750.00 लाख (दो हजार सतहत्तर करोड़ पचास लाख रूपये) मात्र के व्यय की स्वीकृति। — 23. स्वीकृत।

समाज कल्याण विभाग

(सामाजिक सुरक्षा एवं निःशक्तता निदेशालय)

24. मुख्यमंत्री सामाजिक सुरक्षा योजना में वित्तीय वर्ष 2016–17 में रू० 25000.00 लाख (दो सौ पचास करोड़ रूपये) मात्र के व्यय की स्वीकृति। — 24. स्वीकृत।

समाज कल्याण विभाग

25. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समेकित बाल संरक्षण योजना के अधीन विभिन्न अवयवों के अंशदान के संशोधन के प्रस्ताव तथा किशोर न्याय (बालकों की देख–रेख एवं संरक्षण) अधिनियम द्वारा बच्चों/किशोरों के लिए सांस्थानिक एवं गैर सांस्थानिक देखभाल हेतु विभिन्न प्रकार के गृहों की स्वीकृति के संबंध में। — 25. स्वीकृत।

सामान्य प्रशासन विभाग

26. सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना में अत्यधिक कार्यबोझ के मद्देनजर प्रशाखाओं के पुनर्गठन एवं सचिवालय सेवा के विभिन्न पदों के सृजन। — 26. स्वीकृत।

पथ निर्माण विभाग

27. बिहार राज्य क्षेत्राधीन सुलतानगंज से देवघर पैदल जाने वाले कांवरियों के निमित्त सुलतानगंज–देवघर पथ के सामानान्तर (बगल में)/आसपास सुलतानगंज से दुम्मा (देवघर) तक (कुल 82.65 कि०मी० पथांश लंबाई) में उच्चस्तरीय पुल निर्माण, पुल–पुलिया निर्माण, कॉजवे, सब–वे, पहुँच पथ, बॉक्स कल्भर्ट, प्रोटेक्शन कार्य, भूमि अधिग्रहण एवं गार्ड वॉल निर्माण आदि कार्य सहित 4.50 मी० चौड़ी कच्ची सड़क (कांवरिया पथ) का निर्माण कार्य कुल 9172.78 लाख (एकानवे करोड़ बहत्तर लाख अठहत्तर हजार) रूपये के द्वितीय पुनरीक्षित अनुमानित व्यय पर करने की द्वितीय पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। — 27. स्वीकृत।

निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग

28. श्री अश्विनी कुमार, तत्कालीन अधीक्षक, उत्पाद, नवादा सम्प्रति, (मुख्यालय) को सेवा से बर्खास्त करने का दण्ड अधिरोपित करने की स्वीकृति का प्रस्ताव। — 28. स्वीकृत।

योजना एवं विकास विभाग

29. "मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना" अंतर्गत वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2016–17 में कार्यान्वित की जाने वाली योजनाओं के लिए 636.00 करोड़ रूपये (छः अरब छत्तीस करोड़ रूपये) के व्यय की स्वीकृति। — 29. स्वीकृत।

जल संसाधन विभाग

30.	बिहार नहर चाट/भूमि बन्दोबस्ती नियमावली–2016 की कंडिका 4 (I) में संशोधन के संबंध में।	30.	स्वीकृत।

श्रम संसाधन विभाग
(निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण)

31.	श्रम संसाधन विभाग के अन्तर्गत निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण (प्रशिक्षण–पक्ष) के नियंत्रणाधीन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में अनुदेशकों के रिक्त पदों पर अंशकालीन/अतिथि अनुदेशक के चयन हेतु नीति निर्धारण एवं पारिश्रमिक की स्वीकृति के संबंध में।	31.	स्वीकृत।

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

32.	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग में कार्यपालक अभियंता (असैनिक) वेतनमान् ₹ 15,600–39,100+ ग्रेड वेतन ₹ 6600/–से अधीक्षण अभियंता (असैनिक) वेतनमान् ₹ 37,400–67000+ ग्रेड वेतन ₹ 8700/–के पद पर प्रोन्नति।	32.	स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

33.	वित्तीय वर्ष 2016–17 में सर्व शिक्षा अभियान योजनान्तर्गत केन्द्रांश के रूप में सहायक अनुदान मद में ₹ 457278.00 लाख (पैंतालीस अरब बहत्तर करोड़ अठहत्तर लाख रूपये) व्यय की स्वीकृति एवं जैसे–जैसे केन्द्रांश की राशि प्राप्त होगी वैसे–वैसे राशि की विमुक्ति की स्वीकृति।	33.	स्वीकृत।

पथ निर्माण विभाग

34.	पथ निर्माण विभाग के अन्तर्गत कार्यपालक अभियंता (असैनिक), वेतनमान पी०बी०–3 (15600–39100/–) एवं ग्रेड पे 6600/– के पद से अधीक्षण अभियंता (असैनिक), वेतनमान पी०बी०–4 (37400–67000/–) एवं ग्रेड पे 8700/–के पद पर प्रोन्नति एवं सूचीकरण (पैनल) के संबंध में।	34.	स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

35.	पटना जिलान्तर्गत Rediant International School, दानापुर के समीप 33/11 के०वी० विद्युत शक्ति उपकेन्द्र निर्माण हेतु अंचल–दानापुर के मौजा–मुस्तफापुर, थाना सं०–36, खाता सं०–281, खेसरा सं०–707 एवं 708 में कुल रकबा–0.2967 एकड़ गैरमजरूआ आम भूमि 4,72,500/–रू० मात्र प्रति डिसमिल की दर से सलामी रू० 1,40,19,075/–रू० सलामी के पांच प्रतिशत अर्थात 7,00,954/–रू० का पच्चीस गुणा पूंजीकृत मूल्य रू० 3,15,42,925/–(तीन करोड़ पन्द्रह लाख बयालीस हजार नौ सौ पच्चीस) रू० के भुगतान पर साउथ बिहार, पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड, पटना के स्थायी हस्तान्तरण के संबंध में।	35.	स्वीकृत।

स्वास्थ्य विभाग

36\. "विकसित बिहार के सात निश्चय" अंतर्गत 16 (सोलह) मुख्यमंत्री निश्चय बी०एस०सी० नर्सिंग कॉलेज एवं छात्रावास निर्माण हेतु बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना से प्राप्त प्राक्कलन एवं तकनीकी अनुमोदन के आधार पर, वित्तीय वर्ष 2016–17 में, प्रति ईकाई रू० 26,49,76,000/–(रूपये छब्बीस करोड़ उन्चास लाख छिहत्तर हजार) मात्र की दर से कुल रू० 4,23,96,16,000/– (रूपये चार अरब तेईस करोड़ छियानवे लाख सोलह हजार) मात्र की लागत पर योजना की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष 2016–17 में रू० 60,00,00,000/– (रूपये साठ करोड़) मात्र के व्यय की स्वीकृति।

36\. स्वीकृत।

स्वास्थ्य विभाग

37\. "विकसित बिहार के सात निश्चय" अंतर्गत 54 (चौवन) मुख्यमंत्री निश्चय ए०एन०एम० स्कूल एवं छात्रावास निर्माण हेतु बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना से प्राप्त प्राक्कलन एवं तकनीकी अनुमोदन के आधार पर, वित्तीय वर्ष 2016–17 में, प्रति ईकाई रू० 6,30,72,000/–(रूपये छः करोड़ तीस लाख बहत्तर हजार) मात्र की दर से कुल रू० 3,40,58,88,000/– (रूपये तीन अरब चालीस करोड़ अन्ठावन लाख अठ्ठासी हजार) मात्र की लागत पर योजना की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष 2016–17 में रू० 80,00,00,000/–(रूपये अस्सी करोड़) मात्र के व्यय की स्वीकृति।

37\. स्वीकृत।

स्वास्थ्य विभाग

38\. "विकसित बिहार के सात निश्चय" अंतर्गत 33 (तैंतीस) मुख्यमंत्री निश्चय पारामेडिकल संस्थान एवं छात्रावास निर्माण हेतु बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना से प्राप्त प्राक्कलन एवं तकनीकी अनुमोदन के आधार पर, वित्तीय वर्ष 2016–17 में, प्रति ईकाई रू० 9,98,00,000/–(रूपये नौ करोड़ अन्ठानवे लाख) मात्र की दर से कुल रू० 3,29,34,00,000/– (रूपये तीन अरब उन्तीस करोड़ चौंतीस लाख) मात्र की लागत पर योजना की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष 2016–17 में रू० 20,00,00,000/– (रूपये बीस करोड़) मात्र के व्यय की स्वीकृति।

38\. स्वीकृत।

स्वास्थ्य विभाग

39. "विकसित बिहार के सात निश्चय" अंतर्गत 23 (तेईस) मुख्यमंत्री निश्चय जी०एन०एम० स्कूल एवं छात्रावास निर्माण हेतु बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना से प्राप्त प्राक्कलन एवं तकनीकी अनुमोदन के आधार पर, वित्तीय वर्ष 2016–17 में, प्रति ईकाई रू० 13,35,38,000/–(रूपये तेरह करोड़ पैंतीस लाख अड़तीस हजार) मात्र की दर से कुल रू० 3,07,13,74,000/– (रूपये तीन अरब सात करोड़ तेरह लाख चौहत्तर हजार) मात्र की लागत पर योजना की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष 2016–17 में रू० 40,00,00,000/– (रूपये चालीस करोड़) मात्र के व्यय की स्वीकृति। — **39. स्वीकृत।**

शिक्षा विभाग

40. राज्य के अराजकीय प्रस्वीकृत 1119 मदरसा एवं 09 बालिका मदरसों अर्थात कुल 1128 मदरसों में कार्यरत शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मियों को वित्तीय वर्ष 2016–17 के वेतनादि भुगतान हेतु 2,85,00,00,000/–(दो अरब पचासी करोड़) रूपये मात्र सहायक अनुदान की स्वीकृति एवं विमुक्ति के संबंध में। — **40. स्वीकृत।**

शिक्षा विभाग

41. वित्तीय वर्ष 2016–17 में सर्व शिक्षा अभियान योजनान्तर्गत राज्यांश के रूप में सहायक अनुदान मद में ₹ 304852.00 लाख (तीस अरब अड़तालीस करोड़ बावन लाख रूपये) व्यय की स्वीकृति एवं जैसे–जैसे केन्द्रांश की राशि प्राप्त होगी वैसे–वैसे समानुपातिक राज्यांश की राशि की विमुक्ति की स्वीकृति। — **41. स्वीकृत।**

निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग

42. राज्यों में विभिन्न प्रकार के ऋणों के निबंधन शुल्क तथा स्टाम्प ड्यूटी के सरलीकरण के संबंध में। — **42. स्वीकृत।**